न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना (5)

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

26-03-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—9—518/2009 में आवेदक **सैयद मोशाहिद असदक,** पिता—शाह मशूद असदक, सा0—सी0—4, फेज—2, न्यू मित्तल कॉलोनी, थाना—फुलवारीशरीफ, जिला—पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे जी0टी0सी0 इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में उप प्रबंधक के पद पर 15 साल तक सेवा की हैं। वे सूफी सेक्ट के अनुयायी तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। कई तरह के लोगों से मिलना—जुलना होता है, जिसके कारण भय बना रहता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक—157/गो0, दिनांक—02.02.2010 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष—फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक जी0टी0सी0 इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में उप प्रबंधक के पद पर 15 साल तक सेवा की हैं। आवेदक को जान—माल की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। साथ हीं यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पिताजी के पास पूर्व से पीरबहोर थाना से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0—930/58, थाना—पीरबहोर में नवीकृत होता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक **सैयद मोशाहिद असदक** को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **सैयद मोशाहिद असदक,** पिता—शाह मशूद असदक,

सा0–सी0–4, फेज–2, न्यू मित्तल कॉलोनी, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री असदक को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।